

प्रसाशन शहरों के संग-2012

कार्यालय नगर विकास प्रन्यास
उदयपुर (राज.)

क्रमांक : नविप्र/भवन मानचित्र शाखा/ 2311

दिनांक : 7-6-2013

श्री/ श्रीमति सुन्दर देवी

पिता/ पति श्री याधीश्वर कुमावत

पता - रंग भवन, सुरज पोल, उदयपुर

विषय : न्यास के तथा न्यास द्वारा अनुमोदित योजनाओं के अन्तर्गत भूखण्डों पर भवन निर्माण का अनुमति पत्र।
(जावसाधिक प्रयोजनार्थ)

महोदया/महोदया,

आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र क्रमांक 1657 दिनांक 13/02/13 के
अनुसरण में नगर विकास प्रन्यास की क्षेत्र आधारित पट्टा नामी योजना के
भूखण्ड संख्या 01 (एक) ब्लॉक संख्या 4480.00 के योजना के प्लान के
राजस्व ग्राम भुवाणा खसरा संख्या 1627 के योजना के प्लान के
भूखण्ड संख्या 01 (एक) क्षेत्रफल 4480.00 वर्ग फीट/बर्गमीटर/बर्गयज
पर निम्नलिखित शर्तों के साथ भवन निर्माण की इजाजत दी जाती है।

- भूखण्ड पर निर्माण निम्नलिखित सैट बैक छोड़कर किया जावेगा।
सामने का सैट बैक 20'0" (दोस) फीट
पोंछे का सैट बैक 10'0" (दस) फीट
पार्च का सैट बैक पार्च 1- 10'0" (दस) फीट पार्च 2- 4 फीट
- भूखण्ड पर बनाये जाने वाले भवन का क्षेत्रफल भूखण्ड के क्षेत्रफल के 25% प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
- आपके भूखण्ड के सामने स्थित सड़क की चौड़ाई 80'0" (अस्सी) फीट/मीटर है कृपया सड़क की उक्त चौड़ाई पर कोई निर्माण कार्य नहीं करें।
- आप भवन के प्रत्येक कमरे, रसोई, शौचालय आदी में हवा व रोशन की उपयुक्त व्यवस्था करेंगे।
- आप भूखण्ड में कोई भी ऐसा निर्माण या उपयोग नहीं करेंगे जिसके कारण आपके पड़ोस या मोहल्ले में रहने वालों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- आप भूखण्ड में निर्धारित भवन रेखाओं के आप कोई निर्माण कार्य नहीं करेंगे।
- आपके द्वारा भूखण्ड पर निर्माण इस पत्र के पोंछे वर्णित शर्तों एवं न्यास में प्रचलित भवन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार ही करवाया जायेगा अन्यथा उनके उल्लंघन करने पर अनाधिकृत निर्माण तोड़ने के अलावा आप पर फौजदारी मुकदमा चलाया जायेगा जिसको समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। अनाधिकृत निर्माण आप के खर्चे से ही टुड़वाया जाकर न्यास द्वारा आपसे खर्चे वसूल किया जावेगा।
- इस भवन की इजाजत से भूमि/भूखण्ड के स्वामित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा एवं इस सम्बन्ध में न्यास एवं अन्य व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे।
- यह स्वीकृति मात्र आवस्यीय/व्यावसायिक/संस्क्रान्त उपयोग तथा भूतल मंजिल तक भवन का निर्माण हेतु दी जा रही है। स्वामित्व एवं अन्य मुद्दों बाबत वास्तविक तथ्य छिपाकर गलत रापथ पत्र देने एवं स्वीकृति विपरित निर्माण एवं उपयोग करने पर न्यास द्वारा जारी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
- भूखण्ड के सामने जहाँ सोवर लाईन उपलब्ध है वहाँ आपके सोवर कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा।
- भूखण्ड में वर्षा जल एकत्रीकरण हेतु टांके का निर्माण अनिवार्य रूप से किया जावे इस पानी को घरेलू उपयोग में लिया जावे। भूखण्ड में Water Harvesting System लगाया अनिवार्य होगा।
- भूखण्ड क्षेत्र में कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगावें तथा भवन निर्माण कम से कम लकड़ी का उपयोग कर पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्द्धन में सहयोग करें।
- प्राथी इस भूखण्ड पर भवन निर्माण हेतु किसी राष्ट्रीक बैंक व अन्य संस्थाओं से ऋण लेने हेतु भूखण्ड को रहन रखे तो इसमें न्यास को कोई आपत्ति नहीं है।
- वेसमेंट का उपयोग केवल पार्किंग के लिये किया जावेगा तथा इस प्रकार की पर्याप्त व्यवस्था करने लगेगी ही सतह का पानी बहकर समेंट में न घुसे।

03/05/2017

14. यह निर्माण स्वीकृति जारी होने के दिनांक को 3 वर्षों के लिए ही मान्य है। इस समावयधि के पश्चात् इसे नवीनीकरण कराना आवश्यक है।

15. भवन स्वामी / भवन निर्माता द्वारा सैफ्टी टैंक की सजाई के लिए मानव शक्ति का उपयोग नहीं किया जायेगा तथा Day latrine का निर्माण नहीं कराया जायेगा। सक्षम अधिकारी

16. ग्राम विभाग के केय एफ प्रविशत प्लेस शाही
P-88350-00 ब्लॉक-2905113 द्वारा चालिस
से 588T ब्लॉक में जमा कराये गये।

उप नगर नियोजक

नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर

17. यह निर्माण स्वीकृति "प्रवासन शहरी के संग
अभियान - 2012" के अन्तर्गत की जा रही है।

प्रतिबिम्ब :-

1. तहसीलदार न्यास
2. भूमि रूपान्तरण शाखा / बिक्री शाखा / नियमन न्यास को प्रेषित कर लेख रहे कि प्लान मूल पत्रावली में लगावें।
3. कार्यालय प्रति भवन मानचित्र शाखा।
4. श्रम विभाग, उदयपुर


सक्षम अधिकारी

उप नगर नियोजक

नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर

CONDITIONS:

1. No Projection shall be allowed over the minimum open space except in the front and that to will be permitted only in way of balcony
2. Plinth height shall be not less than 2'-0 ft. from a abutting road level and height of compound wall shall be not more than 4.5 ft.
3. Kitchen shall be provided with proper ventilation system.
4. Width of staircase shall be not less than 3 ft.
5. All the latrines and bathrooms shall have at least one external wall with proper ventilations.
6. No living the rooms shall cover carpet area less than 100 ft.
7. Clear ceiling height of living rooms shall be not less than 10'-0 ft. in ground floor and 10'-0 ft. in upper floors.
8. Only flush latrine shall be constructed in accordance with prevalent ruled and the effluence of septic tank shall be absorbed in the soak pit within the premises of the plot.
9. Where the Government surface drain not exit the waste of the house shall be absorbed soak pit within the premises of the plot.
10. In case of Corner Plot. Corner of compound wall at road crossing shall be strictly rounded to the radius mentioned in the patta/ site plan.
11. No addition or alteration to the sanctioned plan shall be made prior to approval of this department.
12. plot Number shall be put on Gate Pillar.
13. Owner of the house should inform the date of Commencement of construction to this office before it actually starts.
14. The house Construction under this permission shall be declared for use only after obtaining completion certificate as per approvee pan.
15. Rest rules as prevalent in municipal council for this clearance & sanction etc. shall be strictly followed.



SITE PLAN
SCALE 1: 500

REF. =
Plot size = 80'-0" x 55'-0" + 57'-0"
2

PLOT AREA = 416.36 [4480.0 SQ.FT.]

AREA DETAIL

PARTICULAR	BUILD UP IN SQ.FT.	DEDUCTION FOR F.A.R.	F.A.R. AREA IN SQ.FT.
Basement floor area	148.5	148.5	00.00
Ground floor area	154.3	64.60	89.70
First floor area	154.3	64.60	89.70
Second floor area	154.3	64.60	89.70
Third floor area	154.3	64.60	89.70
Total const. area	716.0	306.90	309.10

TOTAL F.A.R. = 398.80 / 416.36 = 0.96

GROUND COVERAGE = 40 %

TOTAL HEIGHT = 12.2MT

PARKING DETAIL

REQUIRED PARKING E.C.U. = 398.80 / 50 + 842 / 70 + 10 E.C.U.
 PARKING E.C.U. IN BASEMENT = 148.5 / 20.0 = 7.425
 PARKING E.C.U. IN OPEN AREA = 416.36 - 148.50 = 267.86 / 70 = 3.827
 TOTAL AVAILABLE PARKING = 7.425 + 3.827 = 11.252

PROPOSED PLAN FOR
 SMT SUNDER DEVI
 W/O SH. YUCHHATHARJI KUMAWAT
 AT PLOT NO. 1, KH. NO. 1427
 AT REV. VILLAGE BHUWANA,
 UDAPIUR (RAJ.)

SCALE 1: 100

SIG. OF OWNER
 SIG. OF ARCHITECT

F.A.R. REDUCTION DETAIL 64.60SQ. MT.

LOBBY AREA = 23.0 SQ. MT.
 STAIR & LIFT AREA = 24.62 + 4.18 = 28.80SQ. MT.
 O.T.S. AREA = 12.48.00SQ. MT.

AREA DETAIL FOR PARKING:
 STAIR & LIFT AREA = 28.80SQ. MT.

